न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई॰ए॰एस

प्रकरण सं. 15/2024 प्रार्थना पत्र (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नंबरः 2024/221

1. श्रीमती शान्ता पत्नी स्व. श्री भेरूलाल चौधरी निवासी रामा तहसील बड़गांव जिला उदयपुर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री लक्ष्मीलाल चौधरी निवासी रामा तहसील बड़गावं जिला उदयपुर
2. ग्राम पंचायत रामा जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत रामा, तहसील–बड़गांव जिला–उदयपुर

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत रामा द्वारा पारित संकल्प संख्या 24/02 दिनांक 06.09.2021 तथा पट्टा विलेख दिनांक 06.09.2021

उपस्थित :– (1) श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
(2) श्री राजेश सिंघवी विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 11/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षीया सख्या 1 श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी श्री लक्ष्मीलाल जी चौधरी के आवेदन पर ग्राम पंचायत रामा द्वारा एक बापी पट्टा दिनाक 6/9/2021 को जारी किया गया है। जो ग्राम पंचायत रामा के संकल्प सख्या 24/02 दिनांक 6/9/2021 की पालना में जारी किया गया है उक्त बापी पट्टा कानूनन नियम विरूद्ध व प्रार्थीया/निगराकार के हितो के विरूद्ध है। ग्राम पंचायत रामा द्वारा विपक्षीया के पक्ष में जिस जगह का बापी पट्टा जारी किया गया है यह भूखण्ड (दुकान) प्रार्थीया/निगराकार के हक अधिकार एव कब्जे व उपयोग उपभोग की है जो प्रार्थीया/निगराकार को अपने पति भैरूलाल को अपने पिता से बटवाडे में प्राप्त हुई हैं। जिसमे विपक्षीया का कोई हित अधिकार नहीं है ना ही विपक्षीया का कभी बतौर मालिकाना हक कब्जा ही रहा है। लेकिन विपक्षीया ने ग्राम पचायत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर बापी पट्टा जारी करवाया गया है जो

जिला कलक्टर
उदयपुर

नियम विरूद्ध होने से काबिल निरस्त होने योग्य है। ग्राम पचायत रामा द्वारा जारी उक्त पट्टा राजस्थान पचायत राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है जिसमे आवेदनकर्ता के पुराना मकान का कब्जा हो व करीब 50 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक का पुराना कब्जा हो तभी ग्राम पचायत पचायत के तीन सदस्यो की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत की कोरम में विचार विमर्श के बाद सन्तुष्ट होने पर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। जबकि उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ऐसी कोई प्रक्रिया ग्राम पंचायत रामा द्वारा अमल में नहीं लाई गई सारी प्रक्रिया को ताक में रखकर व मिली भगत कर ग्राम पंचायत पर बैठकर ही सारी खाना पूर्ति कर पट्टा जारी किया गया है। विवादित भूखण्ड (दुकान) पर मौके पर प्रार्थीया/निगराकार मालिकाना हक से काबिज है प्रार्थीया/निगराकार ने अपने देवर लक्ष्मीलाल को उक्त दुकान किराये पर दी थी लेकिन लक्ष्मीलाल ने गुप चुप तरीके से उक्त दुकान को मकान बताकर अपनी पत्नी के नाम पर बापी पट्टा जारी करवा दिया है जो कि कानूनन गलत होकर उक्त पट्टा नियम विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षीया का उक्त भूखण्ड (दुकान) पर कभी भी 50 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक समय तक कब्जा नही रहा है तथा न ही उक्त भूखण्ड (दुकान) कभी भी रिहायशी मकान के रूप में उपयोग में लाया गया यानी की विपक्षीया का परिवार कभी भी उक्त भूखण्ड जिसे विपक्षीया द्वारा मकान बताया जा गया है वह वास्तविकता में दुकान के रूप में काम में ली जा रही थी जो प्रार्थीया/निगराकार के स्वामित्व एव आधिपत्य की है। विपक्षीया के पति देवीलाल ने उक्त दुकान को प्रार्थीया/निगराकार से किराये के रूप में ले रखी थी जिसे गुप चुप तरीके से अपना रिहायशी पुराना मकान बताकर अपनी पत्नी के नाम पर बापी पट्टा गलत रूप से व नियम विरूद्ध ग्राम पचायत रामा से जारी करवा दिया गया है। विपक्षीया पुष्पा चौधरी द्वारा पुराने घरो का विनियमितिकरण हेतु आवेदन में जिस भूखण्ड के लिये बापी पट्टा आवेदन किया गया है जिसके उत्तर, पश्चिम व दक्षिण में आम रास्ता बताया हैं व पूर्व से कन्हैयालाल लौहार का मकान बताया है व बाद मे काट फास कर प्रार्थीया/निगराकार के भूखण्ड के पडौस लिखकर पट्टा जारी करवाया गया है ऐसी स्थिति मे उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। विपक्षीया ने उक्त विवादित भूखण्ड (दुकान) जो प्रार्थीया/निगराकार के हक अधिकार एव कब्जे का है जिसपर विपक्षीया ने 50 वर्ष से अधिक समय का कब्जा होना बताया है जबकि विपक्षीया के आधार कार्ड में उसकी जन्म दिनाक 1/1/1967 है व शादी के बाद रामा गाव मे पिछले 30 वर्षों से ही रामा में निवास कर रही है ऐसी स्थिति में रामा में उसके बपोती का कोई मकान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है फिर भी विपक्षीया ने अपना बपोती मकान बताकर प्रार्थीया/निगराकार के भूखण्ड (दुकान) का पट्टा जारी करवा दिया गया है जबकि उक्त आवासीय मकान नहीं होकर व्यवसायिक दुकान होकर प्रार्थीया/

जिला कलक्टर
उदयपुर

निगराकार का मालिकाना हक व आधिपत्य है जो विपक्षीया के पति लक्ष्मीलाल को किराये के रूप मे दुकान दी गई थी और मात्र एक कमरा है विपक्षीया के पति का पुराना मकान विवादित भूखण्ड (दुकान) के पास स्थित है जिसमें विपक्षीया व उसका पति निवासरत है। विपक्षीया ने ग्राम पंचायत रामा के समक्ष अपने स्वामित्व का पुराना मकान होने का कोई दस्तावेजी सबूत ग्राम पचायत की कोरम में प्रस्तुत नहीं किया व ग्राम पंचायत रामा ने बिना किसी आधार पर पुश्तैनी मकान होना मानकर विपक्षीया के पक्ष में बापी पट्टा जारी किया गया है जो कानुन सम्मत नहीं होकर काबिल निरस्त है। प्रार्थीया/निगराकार ने विपक्षीया एव उसके पति के विरूद्ध अपनी उक्त विवादित भूखण्ड (दुकान) मे तोड फोड करने बाबत एक लिखित शिकायत पुलिस थाना सुखेर मे दिनाक 8/11/2023 को दी गई थी जिसकी कार्यवाही विपक्षीगण के विरूद्व चल रही है। जिस पर विपक्षीगण ने प्रार्थीया/निगराकार को कहा कि उक्त (भूखण्ड) दुकान का हमने ग्राम पंचायत से पट्टा बनवा लिया है अब तुम हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते हो ना ही भूखण्ड (दुकान) खाली करवा सकते हो तथा पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती हमारे पास ग्राम पचायत का पट्टा है जिस पर प्रार्थीया/निगराकार ने कहा कि भूखण्ड (दुकान) तो मेरी है और तुमने मेरे भूखण्ड (दुकान) का फर्जी पट्टा केसे बनवा लिया है जब विपक्षीगण ने प्रार्थीया/निगराकार को दिनाक 10/4/2024 को बताया कि विवादित भूखण्ड (दुकान) का उन्होने ग्राम पचायत रामा से पट्टा जारी करवा लिया है तब प्रार्थीया/निगराकार ने ग्राम पंचायत रामा के यहाँ जाँच की तो पता चला कि विपक्षीया के नाम पर विवादित भूखण्ड (दुकान) का फर्जी पट्टा जारी करवा दिया गया है जबकि उक्त दिनाक 10/4/2024 से पूर्व मे उक्त पट्टे बाबत प्रार्थीया/निगराकार को कोई जानकारी नही थी। विपक्षीया के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टे की जानकारी सर्वप्रथम दिनाक 10/4/2024 को हुई व पट्टा हेतु आवेदन ग्राम पचायत रामा को किया गया व पट्टा दिनाक 22/4/2024 को प्राप्त हुआ व पट्टे की प्रमाणित नकल प्राप्त होते ही यह निगरानी आप न्यायालय में जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी पट्टा जारी करने की दिनांक से निगरानी प्रस्तुत करने की दिनांक तक के समय को कन्डोन करने हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पचायत रामा तहसील बडगाव जिला उदयपुर द्वारा जारी किया गया है जिससे उक्त निगरानी का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय आपको प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया/निगराकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत रामा द्वारा पारित सकल्प सख्या 24/02 दिनांक 6/9/2021 निरस्त फरमाया जावे व उक्त संकल्प की पालना में ग्राम

जिला कलक्टर
उदयपुर

पंचायत रामा द्वारा जारी बापी पट्टा संख्या 51183 दिनाक 6/9/2021 निरस्त फरमाया जावे व अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीया/निगराकार को प्रदान कराई जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस की गई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी श्रीमती पुष्पा चौधरी पत्नी लक्ष्मीलाल चौधरी द्वारा स्वयं के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में गवाह श्री प्रतापलाल कुम्हार पिता अर्जुन कुम्हार एवं भंवरलाल कुम्हार द्वारा भी प्रार्थी का मकान होना बताया है। शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंयायत द्वारा नामित तीन वार्ड पंच श्री सुरेश चन्द्र रावल, श्री वरदीसिंह एवं श्री गोपीलाल द्वारा आवेदक के आबादी भूमि का निरीक्षण किया गया जिसके एवं निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदिका को जो पट्टा जारी किया है वह वहां निवासरत होकर जिविकोपार्जन हेतु रह रही है। आवेदक को दिशा ज्ञान नही होने के कारण प्रार्थना पत्र में गलत दिशा अंकित कर दी गयी है जो कि मानवीय भूल के कारण हुई है। मौका पर्चा कमेटी के द्वारा मौका पर्चा के दौरान उक्त गलती को सही कर सही आस–पडौस अंकित किये गये है। आवेदिका को उसके पति की पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हक रहता है उवं राज्य सरकार की मंशा भी महिलाओं को बराबरी का हक देने की रही है अतः राज्य सरकार की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए जंहा आवेदिका निवास कर रही है उक्त मकान का पट्टा जारी किया गया है। आवेदिका द्वारा शपथ पत्र में स्वयं का मकान दर्शाया है एवं आस पडौस की पडौसियों द्वारा अपने लिखित बयान में प्रार्थी के कब्जे को दर्शाया है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के अंक द्वारा पृष्ठ संख्या 07 पर आपत्ति पत्र जारी किया एवं आपत्ति पत्र भी आम चौराहे पर चस्पा किया गया जिसमें 30 दिवस का समय आपत्ति हेतु दिया गया। 30 दिवस बाद ग्राम पंचायत द्वारा आवेदिका के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम के अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत ही नियम 157(1) के अधीन पट्टा जारी किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रामा द्वारा विपक्षिया के पक्ष में प्रार्थिया की दुकान जो उसके पति को बंटवाडे में प्राप्त हुई थी, को मकान बताकर पट्टा हेतु आवेदन किया एवं ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

दिया। विपक्षिया द्वारा अपने आवेदन में अंकित किये गये पडौस में काट छांट कर प्रार्थिया के पडौस अंकित कर गलत तरीके से पट्टा प्राप्त किया है। दुकान को पुराना मकान बताकर पट्टा प्राप्त किया है। विपक्षिया द्वारा अपने आवेदन में कब्जे बाबत ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत निगरानी समय सीमा के बाद प्रस्तुत की गई है अतः मयाद के बिन्दु पर खारिज की जावे। ग्राम पंचायत द्वारा पूरी प्रक्रिया अपना कर ही पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा पैतृक सम्पत्ति पर जारी किया गया है अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजो एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध बंटवाडा प्रति (पारिवारिक लिखतम) दिनांक 08.07.1985 अनुसार प्रार्थिया के पति श्री भेरूलाल को दुकान अपने पिता से बंटवाडे में प्राप्त हुई है। श्री भेरूलाल की मृत्यु पश्चात विरासत से भी प्रार्थिया का हक बनता है किन्तु ग्राम पंचायत पंचायत द्वारा उक्त बंटवाडे को अनदेखा करते हुए विपक्षिया पुष्पा के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जो न्यायसंगत नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया/निगराकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रामा द्वारा पारित संकल्प संख्या 24/02 दिनांक 06.09.2021 की पालना में जारी पट्टा संख्या 51183 दिनांक 06.09.2021 निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ ग्राम पंचायत रामा, विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगांव को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर